

#1478

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - अडोडा का बाणनिवा)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1204

दायर दिनांक 10/10/25

निर्णय दिनांक 10/10/25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>अडोडा का बाणनिवा</u>	<u>15</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 क्रि.भारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>अडोडा का बाणनिवा</u> का <u>अडोडा का बाणनिवा</u> में अमल दरामतद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>मैं वर्तमान प्रविष्टी बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामतद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिलिपि पालनाथ:-				पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल अडोडा का बाणनिवा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार तहसीलदार कपासन को चिन्ता डगढ़ करें।

तहसीलदार (भू.अ.)  
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़